

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद जिला बारां (राज0)

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या	61/2015	धारा अन्तर्गत	53,89,188,183 RTA	निर्णय दिनांक	: 06.06.2017
समक्ष :	श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडौद जिला बारां				
उपस्थिति :	अभिभाषक वादी:- श्री ललित शर्मा		अभिभाषक प्रतिवादी:-		

वाद शीर्षक

उनवान

1. रामबाबू पुत्र भँवरजी
2. सोराम पुत्र भँवरजी
3. राजबाई पुत्री भँवरजी
4. रामचरणबाई पुत्री भँवरजी
5. गीताबाई पुत्री भँवरजी
6. अनारबाई बेवा भँवर जी जाति गूर्जर निवासी विसलाई तहसील छीपाबडौद जिला बारां

बनाम

1. प्रेम पुत्र सुन्दरलाल
2. फूलसिंह पुत्र सुन्दरलाल
3. लाडबाई पुत्री सुन्दरलाल
4. शैतानबाई पुत्री सुन्दरलाल
5. छीवान पुत्र रामप्रसाद
6. स्रजन पुत्र रामप्रसाद
7. कमलाबाई बेवा रामप्रसाद
8. भारतसिंह पुत्र रंगलाल
9. इन्द्रसिंह पुत्र रंगलाल
10. कंचन पुत्री रंगलाल
11. बदाम पुत्री रंगलाल
12. सोरम पुत्री रंगलाल
13. धनबाई बेवा रंगलाल
14. श्रीसिंह पुत्र बापूलाल
15. भगवानसिंह पुत्र बापूलाल
16. भगवानसिंह पुत्र बापूलाल
17. रामरेखा पुत्री बापूलाल
18. हरिकिशन पुत्र ईशरलाल
19. अमृतलाल पुत्र ईशरलाल
20. सरजन पुत्र रमेश
21. मुकेश पुत्र रमेश
22. धनबाई बेवा रमेश
23. भगवानसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण
24. दिनेश पुत्र लक्ष्मीनारायण
25. गीता बेवा लक्ष्मीनारायण
26. छगनलाल पुत्र प्रभू


उपखण्ड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारां

27. समन्दरबाई पुत्री प्रहलाद
28. शैतानबाई पुत्री प्रहलाद
29. परसराम पुत्र फूंदीलाल
30. रामसिंह पुत्र फूंदीलाल
31. अमृतलाल पुत्र फूंदीलाल
32. मांगीलाल पुत्र फूंदीलाल
33. भगवानसिंह पुत्र बापू
34. रामरेखा पुत्री बापू
35. कैलाश पुत्री खुशिया
36. नैनी पुत्री खुशिया
37. मोडिसिंह पुत्र बलराम
38. रामनिवास पुत्र बलराम
39. शैतानबाई पुत्री बलराम
40. कल्याणीबाई पुत्री सागरसिंह जाति गुर्जर निवासीगण बिसलाई तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज.
41. राज्य सरकार जयें तहसीलदार तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज.

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेशित किया जाता है और तदनु रूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार विवादित आराजी वाके ग्राम बिसलाई का पक्षकारा के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है।

नाम खातेदार	ख0नं0	रकवा	दिशा
रामबाबू सोराम, पुत्र भवंरजी, राजबाई, रामचरणबाई पुत्री भवंरजी, अनारबाई बेवा भवंरजी जाति गुर्जर नि0 बिसलाई	27 / 1	4.18	उत्तर
प्रेम, फूलसिंह पुत्र सुन्दरलाल वगै0 एवं शेष खातेदारान बदस्तूर जाति गुर्जर निवासी बिसलाई तह0 छीपाबडौद	27	23.03	दक्षिण

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया ज राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने एवं लगान निर्धारण करने हेतु तहसीलदार छीपाबडौद को आदेश दिया गया है।

साथ ही नियमानुसार रू0 का व्ययानुतोष द्वारा को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक **12.06.2017** को निर्गत किया गया।



उपरोक्त हस्ताक्षरकारी
छीपाबडौद अधिकारी
छीपाबडौद

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		

निर्णय वइजलास श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबडौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 61/2015 दावा
दायरा दिनांक 17.06.2015
निर्णय दिनांक :- 26.04.2017

उनवान

1. रामबाबू पुत्र भेंवरजी
2. सोराम पुत्र भेंवरजी
3. राजबाई पुत्री भेंवरजी
4. रामचरणबाई पुत्री भेंवरजी
5. गीताबाई पुत्री भेंवरजी
6. अनारबाई बेवा भेंवर जी जाति गूर्जर निवासी बिसलाई तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज.

बनाम

1. प्रेम पुत्र सुन्दरलाल
2. फूलसिंह पुत्र सुन्दरलाल
3. लाडबाई पुत्री सुन्दरलाल
4. शैतानबाई पुत्री सुन्दरलाल
5. छीवान पुत्र रामप्रसाद
6. स्रजन पुत्र रामप्रसाद
7. कमलाबाई बेवा रामप्रसाद
8. भारतसिंह पुत्र रंगलाल
9. इन्द्रसिंह पुत्र रंगलाल
10. कंचन पुत्री रंगलाल
11. बदाम पुत्री रंगलाल
12. सोरम पुत्री रंगलाल
13. धनबाई बेवा रंगलाल
14. श्रीसिंह पुत्र बापूलाल
15. भगवानसिंह पुत्र बापूलाल
16. भगवानसिंह पुत्र बापूलाल
17. रामरेखा पुत्री बापूलाल
18. हरिकिशन पुत्र ईशरलाल
19. अमृतलाल पुत्र ईशरलाल
20. सरजन पुत्र रमेश



उपखण्ड अधिकारी 1
छीपाबडौद जिला बारां

21. मुकेश पुत्र रमेश
22. धनबाई बेवा रमेश
23. भगवानसिंह पुत्र लक्ष्मीनारायण
24. दिनेश पुत्र लक्ष्मीनारायण
25. गीता बेवा लक्ष्मीनारायण
26. छगनलाल पुत्र प्रभू
27. समन्दरबाई पुत्री प्रहलाद
28. शैतानबाई पुत्री प्रहलाद
29. परसराम पुत्र फूदीलाल
30. रामसिंह पुत्र फूदीलाल
31. अमृतलाल पुत्र फूदीलाल
32. मांगीलाल पुत्र फूदीलाल
33. भगवानसिंह पुत्र बापू
34. रामरेखा पुत्री बापू
35. कैलाश पुत्री खुशिया
36. नैनी पुत्री खुशिया
37. मोडिसिंह पुत्र बलराम
38. रामनिवास पुत्र बलराम
39. शैतानबाई पुत्री बलराम
40. कल्याणीबाई पुत्री सागरसिंह जाति गुर्जर निवासीगण बिसलाई तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज.
41. राज्य सरकार जयें तहसीलदार तहसील छीपाबडौद जिला बारां राज.

वाद अन्तर्गत धारा 53, 89, 188, 183 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :-

अभिभाषक उपस्थित :- 1. श्री ललित कुमार शर्मा वादी

अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 89, 188, 183 आर.टी.एक्ट विरुद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 27 रकबा 28 बीघा 01 बिस्वा मौजा बिसलाई तहसील छीपाबडौद जिला बारां राजस्थान मे वाके है, जो मुताबिक जमाबंदी संख्या 48 सम्वत् 2069 ता 72 से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 40 के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त मे चली आ रही है, जिसमें वादीगण का 7/40 हिस्सा दर्ज जमाबंदी एवं कब्जे काश्त मे चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजीयात के खातेदारानमे काफी वृद्धि हो गई है, वादीगण को अपने हिस्से की आराजी की काश्त करने व लगान राज जमा कराने मे काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है, तथा वादीगण के लिए उक्त वर्णित आराजीयात को शामिल काश्त करना संभव नही हो रहा है, इसलिए वादीगण उक्त विवादित आराजी में अपने हिस्से की आराजी का खाता विभाजन करवाने के


उपसुपड अधिकारी
छीपाबडौद जिला बारा

म जा व

मो राम

- ✓ 22. धनबाई आयु 45 वर्ष बेवा रमेश ✓
- ✓ 23. भगवानसिंह आयु 23 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण ✓
- ✓ 24. दिनेश आयु 18 वर्ष पुत्र लक्ष्मीनारायण ✓

कानूनी अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 40 वादीगण से काश्त व लगान के संबंध में लड़ाई-झगडा करते हैं, तथा वादीगण के हिस्से की पूरी आराजी पर वादीगण को काश्त नहीं करने देते हैं, तथा वादीगण को वेदखल कर अपना कब्जा जमाने के लिये आमादा हो रहे हैं, तथा वादीगण की फसलों को चुकराना पहुँचाते हैं। वादीगण ने दिनांक 08.06.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 ता 40 से उक्त वर्णित आराजीयात का खाता विभाजन करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 40 खाता विभाजन करवाने से इन्कार हो गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 40 ने वादीगण को धमकी दी है, कि वे वादीगण को उनके हिस्से की आराजी से वेदखल करेंगे, वादीगण ने उसी दिन तहसीलदार साहब छीपावडीद से उक्त वर्णित आराजीयात का खाता विभाजन करवाने के लिये कहा तो उन्होंने सभी सहखातेदारान में सहमति न होने से खाता विभाजन करने में असहमति व्यक्त की। प्रतिवादी संख्या 1 ता 40 द्वारा अपने इरादे के मुताबिक उक्त वर्णित आराजीयात का प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 से खाता विभाजन करवाने के लिये कहा तो उनके द्वारा इन्कार करने पर तथा वादीगण को उनके हिस्से की आराजी से वेदखल करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 25.01.2016 को उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। वादी ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम विसलाई सम्वत् 2069-72 खाता संख्या 48, पेश की गई। साक्ष्य वादी में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। वकील वादी का कथन है, कि विवादित आराजी खसरा नंबर 27 रकबा 28.01 बीघा, वाके ग्राम वीसलाई तहसील छीपावडीद में स्थित है, जो वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 40 के शामलाती खातेदारी में कब्जे काश्त में चली आ रही है, जिसमें वादीगण का 7/40 हिस्सा दर्ज जमाबन्दी है। विवादित आराजी वादीगण के शामलाती खाते में दर्ज होने से वादीगण अपने हिस्से की आराजी का विभाजन कराना चाहते हैं। शामलात भूमि होने से लगान आदि चुकाने में काफी परेशानीयों का सामना करना पड़ता है, तथा आपस में लड़ाई-झगडा होता है। प्रतिवादी 1 ता 40 वादीगण से काश्त व लगान के सम्बन्ध में लड़ाई-झगडा करते हैं, तथा वादीगण के हिस्से की भूमि पर वादीगण को काश्त नहीं करने देते, वादीगण को वेदखल कर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

बहस अभिभाषक वादीगण एक तरफा सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्ययान्त अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम विसलाई सम्वत् 2069-72 खाता संख्या 48 के अनुसार श्योराम, रामबाबू पुत्र भवरलाल, राजबाई, रामपाल बाई, गीता बाई पुत्रिया भवरलाल, अनार बाई बेवा भवरलाल हिस्सा 1/16 दर्ज है। जमाबन्दी के कॉलम संख्या 11 से 13 में नामान्तरण संख्या 533 दिनांक 27.09.2014 विरासत से मृतक रंगलाल के स्थान पर रामबाबू पुत्र भवरलाल हिस्सा 1/16 खाता दर्ज होने का नोट अंकित है। मृतक भवर जी के स्थान पर श्योराम, रामबाबू पुत्र, राजबाई, रामचरण बाई, गीताबाई, पुत्रिया, अनार बाई, बेवा भवर जी हिस्सा 1/40 हिस्सा बराबर का नोट अंकित है। मृतक रंगलाल के स्थान पर रामबाबू पुत्र भवरलाल हिस्सा 1/40 खाता दर्ज होने का नोट अंकित है। इससे यह साबित है, कि विवादित आराजी में वादीगण का शामलाती खाते में नाम दर्ज है। वादीगण


उपसंहार अधिकारी
छीपावडीद जिला बारा

22. धनबाई आयु 45 वर्ष बेवा रमेश

